

समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या— ५४ /XVII-2/21-01(04)/2021
देहरादून: दिनांक २२ जनवरी, 2021
अधिसूचना

श्री राज्यपाल राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल (<https://ssp.uk.gov.in>) में राज्य के समरत हितधारकों/प्रयोगकर्ताओं के उपयोग एवं परिवार के सदस्यों की पहचान/सत्यापन हेतु “उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2018)” की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आधार संख्या का प्रयोग किये जाने हेतु “पेंशन/अनुदान सेवाओं को” अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. ७
३२। ज। २।
(एल.फैनई)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:— /XVII-2/21-01(04)/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा.मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा.समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा.मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समरत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड।
7. समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड।
9. समरत जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. नोडल अधिकारी, आई.टी.सैल, समाज कल्याण, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(राजेन्द्र कुमार भट्ट) २२/१/२१
उप सचिव।